राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

Phones: (91)1662-275581, 275797
केन्द्रीय राज्य फार्म, 10कि.मी. सिरसा रोड़, हिसार

<u>निविदा सूचना</u>

केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार के विभिन्न खण्डों में स्थित फसलों एवं सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु कार्य जनवरी 2015 से मई 2016 तक ठेके पर देने के लिए निर्धारित प्रपत्र में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक पार्टियों द्वारा निविदा प्रपत्र रू. 1000/– का भुगतान कर फार्म के कार्यालय से दिनांक 19.11.2014 तक प्राप्त की जा सकती है। सीलबन्द निविदा इस कार्यालय की निविदा पेटी में दिनांक 20.11.2014 प्रातः 11.00 बजे तक पहुँच जानी चाहिये। तकनीकी निविदा उसी दिन दोपहर 12.00 बजे एवं वित्तीय निविदा सायं 03.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी।

सुरक्षा ठेके की निविदा में भाग लेने हेतु धरोहर राशि (EMD) रुपये 50000/– प्रति ब्लॉक है, जो कि निविदादाता को **''राष्टीय बीज निगम लिमिटेड''** के पक्ष में जारी हिसार में देय डिमांड ड्राफ्ट तकनीकी निविदा के साथ सलंग्न करना होगा। ठेके से संबन्धित विस्तृत जानकारी फार्म के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त की जाती है व निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है।

सुरक्षा अधिकारी

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का संस्थान)

केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार

फार्म की फसलों एवं अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु सुरक्षा कार्य (जनवरी 2015 से मई 2016 तक) ठेके पर देने बाबत नियम व शर्तें।

1. सुरक्षा ठेका की अवधि दिनांक 01-01-2015 से 31-05-2016 तक या केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार के उप-महाप्रबंधक (फार्म) के अग्रिम आदेशों तक होगी। सुरक्षा ठेके का कार्य संतोषजनक पाए जाने पर सुरक्षा ठेके को 6 महिने/एक साल वर्तमान दरों एवं नियम व शर्तों पर आवश्यकतानुसार फार्म द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सुरक्षा ठेके को बढ़ाने या घटाने का फैसला पूर्ण रूप से उप-महाप्रबंधक (फार्म) पर निर्भर होगा व सुरक्षित रहेगा।
2. इच्छुक पार्टियों को सीलबन्द निविदा जिस पर ''फार्म की फसलों एवं अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतू निविदा व खुलने की तारीख अंकित हो'' उप-महाप्रबंधक (फार्म), केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार के कार्यालय की निविदा पेटी में निविदा सूचना में दिए गए विवरण अनुसार जमा करानी होगी। दिनांक 17.11.2014 को दोपहर 3.00 बजे फार्म के सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में सुरक्षा ठेके से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी देने बाबत बैठक की जाएगी।
3. सुरक्षा ठेके की निविदा में भाग लेने हेतु धरोहर राशि (EMD) रुपये 50000/- प्रति ब्लॉक है, जो कि निविदादाता को ''राष्टीय बीज निगम लिमिटेड'' के पक्ष में जारी हिसार में देय डिमांड ड्राफ्ट तकनीकी निविदा के साथ सलंग्न करना होगा। ठेके से संबन्धित विस्तृत जानकारी फार्म के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त की जा सकती है। असफल निविदादाताओं को उनके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि फार्म द्वारा दो दिन पश्चात केवल चैक द्वारा ही वापिस की जाएगी। धरोहर राशि के बिना किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। सफल निविदादाता को कार्य आदेश/स्वीकृति पत्र मिलने के पश्चात 24 घंटे के अन्दर निम्न विवरण के हिसाब से प्रतिभुति राशि (Security Deposit) डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी (जो कि ''राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार'' के नाम पर देय हो) के रूप में फार्म में जमा कराने होंगेः-
   1. खण्ड-। एवं ।। (ठसका एवं खैरवां ब्लाक) के 11 चकों पर स्थित फार्म की फसलों एवं अन्य सम्पति की सुरक्षा हेतू कार्य के लिए धरोहर राशि रू. 1,00,000/- (रू. एक लाख मात्र) व प्रतिभूति राशि (Security Deposit) रू. 4,00,000/- (रू. चार लाख केवल) होगी।
   2. खण्ड-।।। (चक ढंढूर, ढंढूर नर्सरी, 38000आरडी, हवाई पट्टी, टेल प्लाट, बाग, नया बाग, 23000आरडी, 86000आर/एल) के 10 चकों पर स्थित फार्म की फसलों एवं अन्य सम्पति की सुरक्षा हेतू कार्य के लिए धरोहर राशि 50,000/- (रू. पचास हजार मात्र) व प्रतिभूति राशि (Security Deposit) रू. 2,00,000/- (रू. दो लाख केवल) होगी।
4. सफल निविदादाता द्वारा सुरक्षा ठेके की निविदा में भाग लेने हेतू फार्म में जमा कराई गई धरोहर राशि (E.M.D.) प्रतिभूति राशि (Security Deposit) में समायोजित कर दी जायेगी जो कि फार्म द्वारा सम्बंधित खण्ड के सुरक्षा ठेके के कार्य के संतोषजनक रूप से समाप्त होने

के 2 महीने पश्चात बिना ब्याज के सम्बंधित सुरक्षा ठेकेदार को वापिस की जाएगी। धरोहर राशि अथवा प्रतिभूति राशि पर फार्म द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।

5. सुरक्षा ठेकेदार को कार्य आदेश प्राप्त होने के 1 महीने के अन्दर हरियाणा सरकार के श्रम विभाग से फार्म पर ठेके का कार्य करने हेतू ठेकेदार लाइसेंस प्राप्त कर सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में ठेकेदार का मासिक भुगतान फार्म द्वारा रोक लिया जाएगा।

6. सुरक्षा ठेके में भाग लेने के लिए इच्छुक पार्टियों/फर्म का हरियाणा/केन्द्र सरकार के लेबर विभाग द्वारा पंजीकृत होना एवं विधिमान्य लेबर लाइसेंस होना अनिवार्य होगा। निविदादाता को सरकारी/स्वायत्त संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान के कृषि फार्मो के सुरक्षा ठेके का कम से कम दो साल या न्यूनतम 1000 एकड़ क्षेत्र के निजी कृषि फार्म के सुरक्षा ठेके के कार्य का कम से कम पांच साल का संतोषजनक अनुभव होना चाहिए। भारत सरकार के पास पंजीकृत संस्थाएं, जो वांछित अनुभव रखती हों, भी उपरोक्त सुरक्षा ठेके में भाग ले सकती हैं।

7. ऐसा कोई भी व्यक्ति सुरक्षा ठेके में भाग नहीं ले सकेगा जो पूर्व में कभी भी निगम के किसी भी फार्म में फार्म विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित रहा हैं अथवा ब्लैक–लिस्ट है।

8. चूंकि फार्म की फसलों, पेड़–पौधों, नहरी पानी, ट्यूबैल, फव्वारा सिंचाई पद्धति, तारबंदी एवं अन्य सम्पत्ति इत्यादि की सुरक्षा हेतु ठेकेदार का स्वयं फार्म में उपस्थित रहना नितान्त आवश्यक है, अतः सुरक्षा ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि अपने ब्लॉक में खुद उपस्थित रहकर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेगा व समय–2 पर फार्म के सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताए गए निर्देशों की अनुपालना करेगा। अगर सुरक्षा ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि फार्म द्वारा आवंटित किए गए क्षेत्र से लम्बे समय के लिए अनुपस्थित रहता है व बार–2 निर्देशों के बावजूद फार्म पर उपस्थित नहीं होता है तो फार्म द्वारा उसका मासिक भुगतान रोक दिया जाएगा। इसके साथ–2 ठेकेदार के विरूद्ध फार्म द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी खुद सुरक्षा ठेकेदार की होगी।

9. निविदा प्रपत्र के दो भाग होंगे –

    (1) तकनीकी निविदा, जिसमें निविदादाता को हरियाणा/केन्द्र सरकार द्वारा फर्म पंजीकृत प्रमाण पत्र, विधिमान्य लेबर लाइसेंस, ई.पी.एफ., ई.एस.आई. नं., 2 साल का सुरक्षा कार्यानुभव प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित फोटोप्रति एवं निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित ठेके के नियम एवं शर्तों के दस्तावेज सलंग्न कर प्रस्तुत करने होंगे।

    (2) वित्तीय निविदा, जिसमें निविदादाता को निर्धारित प्रपत्र में सुरक्षा कार्य के ठेके के रेट देने होंगे। वित्तीय निविदा उसी निविदादाता की खोली जायेगी जो तकनीकी निविदा में सफल होगा।

10. सुरक्षा ठेकेदार की यह जिम्मेवारी होगी कि फार्म क्षेत्र में किसी के भी द्वारा अनाधीकृत रूप से अधिक्रमण न हो व ऐसा होने पर उसे रोकने की पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की

होगी। सुरक्षा ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि बंदरों, नील गाय, आवारा व पालतु पशुओं द्वारा फार्म की फसलों एवं अन्य सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे एवं अवैध/जबरदस्ती चराई और चोरी इत्यादि तथा अन्य किसी भी प्रकार से फसलों, पेड़–पौधो, फार्म मशीनरी एवं डीजल, नहरी पानी, फव्वारा सिंचाई पद्धति, ट्यूब्वैल, तारबंदी तथा फार्म की अन्य सम्पत्ति इत्यादि का कोई नुकसान न हो। फार्म सम्पत्ति का नुकसान होने पर नुकसान का आंकलन उप–महाप्रबंधक (फार्म) द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा व नुकसान की सम्पूर्ण भरपाई ठेकेदार से की जायेगी। सुरक्षा ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि फार्म सम्पत्ति का नुकसान के आंकलन के समय मौजूद रहेगा व ऐसा ना करने पर उसके द्वारा नुकसान की भरपाई के संदर्भ में कोई सुनवाई नही की जाएगी। अगर ठेकेदार फार्म सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई उसको सूचना मिलने के 15 दिन के अंदर नही करता है तो भरपाई की रकम उसके सुरक्षा ठेके के कार्य के मासिक भुगतान से कटौती कर फार्म द्वारा वसूली जाएगी।

11. सुरक्षा ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह फार्म क्षेत्र में पाए गए पशुओं को सम्बन्धित खण्ड के पशु फाटक में सुरक्षित ला कर बन्द करे व फार्म क्षेत्र से दूर छोड़कर आए। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी पशु, नील गाय, भेड़ बकरी, बन्दरों इत्यादि को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। आवारा पशुओं के फार्म क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबन्धित करने बाबत जो भी संवेदनशील प्वाइंट्स, जिनकी जानकारी सुरक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर दी जायेगी, पर चौकीदारों को नियुक्त करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। फार्म के संवेदनशील बिन्दुओं/क्षेत्र पर ठेकेदार द्वारा चौकीदार नियुक्त न करने की स्थिति में/ ठेकेदार के चौकीदार मौजूद न पाए जाने पर/ड्यूटी के दौरान सोने या किसी प्रकार की लापरवाही किए जाने पर सुरक्षा ठेकेदार के मासिक बिल में से रूपये 1000/– प्रति पॉइंटस प्रति दिन के हिसाब से बिना नोटिस कटौती की जायेगी। सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताए गए सभी संवेदनशील क्षेत्रों/बिन्दुओ पर चौकीदार नियुक्त न करने की स्थिति में इन क्षेत्रों/बिन्दुओं पर फार्म द्वारा स्वयं चौकीदार की नियुक्त की जाएगी व इन चौकीदारों के वेतन का भुगतान सुरक्षा टेकेदार के मासिक भुगतान से कटौती कर किया जाएगा। फार्म के किसी विशेष क्षेत्र/चक/खण्ड पर ठेकेदार द्वारा किए गए सुरक्षा कार्य व्यवस्था संतोषजनक नहीं होने व निरंतर नुकसान होने पर फार्म को ऐसे क्षेत्र की सुरक्षा किसी भी व्यक्ति/फर्म से कराने का पूर्ण अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में जो भी खर्चा आएगा वह सुरक्षा ठेकेदार के मासिक भुगतान से काट लिया जाएगा।

12. सुरक्षा ठेकेदार को फसलों, फार्म मशीनरी एवं डीजल, पेड़–पौधो, नहरी पानी, फव्वारा सिंचाई पद्धति, ट्यूब्वैल, तारबंदी तथा फार्म की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु विभिन्न चकों/प्वांइन्टों, जिनकी जानकारी समय समय पर फार्म के सुरक्षा अधिकारी द्वारा दी जायेगी, पर आवश्यकतानुसार सुरक्षाकर्मी तैनात करने होंगें। सुरक्षा ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जहाँ भी उसके चौकीदार की ड्यूटी लगाई जाती है वह दूसरा चौकीदार आने पर ही अपने चक/ड्यूटी प्वाइन्ट से जाए। ठेकेदार के किसी भी चौकीदार या सुपरवाइजर को किसी भी समय सुरक्षा अधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताये हटाया जा सकता है। ठेकेदार की यह

जिम्मेवारी होगी कि वह सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा फार्म सम्पति की सुरक्षा हेतू लगाये गये सभी चौकीदार तथा सुपरवाइजर अपनी–अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करें व अपना आचरण ठीक रखें। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके चौकीदार फार्म में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, फार्म विरोधी या गैरकानूनी कृत्य में सम्मिलित नहीं होगें तथा किसी भी फार्म अधिकारी अथवा कर्मचारी के साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे अन्यथा फार्म द्वारा सुरक्षा ठेकेदार एवं सम्बंधित चौकीदार के विरुद्ध नियमान्तर्गत कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

13. निविदादाता की जानकारी के लिए फार्म में मुख्यतः निम्नांकित संवेदनशील प्वाइंट्स हैं, जिन पर निविदादाता को चौकीदार लगाने पड़ सकते हैं :–

माह	ब्लॉक	
	ब्लॉक–I व II चक 2000आरडी, 68025आरडी,72000आरडी,9000आरडी एवं चक बेरीबाग(23000आर.डी.), 21000आरडी, 17000आरडी,13000आरडी, 78/80000आरडी, 75000आरडी	ब्लॉक–III चक ढंढूर, ढंढूर नर्सरी, 38000आरडी, ई0पी0ओ0, नया बाग, 23000आरडी, 86000एल,86000आर, टेल प्लॉट
जनवरी 2015	37	24
फरवरी 2015	37	24
मार्च 2015	37	24
अप्रैल 2015	37	24
मई 2015	37	24
जून 2015	37	24
जुलाई 2015	37	24
अगस्त 2015	37	24
सितम्बर 2015	37	24
अक्टूबर 2015	37	24
नवम्बर 2015	37	24
दिसम्बर 2015	37	24
जनवरी 2016	37	24
फरवरी 2016	37	24
मार्च 2016	37	24
अप्रैल 2016	37	24
मई 2016	37	24

14. सुरक्षा का ठेका उसी व्यक्ति को दिया जायेगा जिसका चाल–चलन सही पाया जायेगा व जो विश्वसनीय होगा। अन्य बातों के अलावा सुरक्षा ठेकेदार किसी भी फार्म कर्मचारी का रिश्तेदार व सम्बन्धी नहीं होना चाहिए। सुरक्षा ठेकेदार स्वयं व उसके द्वारा लगाये गए चौकीदार अथवा सुपरवाइजर फार्म के किसी भी कर्मचारी से कोई झगड़ा इत्यादि नहीं करेंगे। कोई विवाद होने पर वे उसकी रिपोर्ट फार्म के सुरक्षा अधिकारी को देंगे।

15. कार्य–आदेश जारी होने के पश्चात् सुरक्षा ठेकेदार स्वयं भी फार्म के सम्बन्धित ब्लॉक में नियमित रूप से दिन व रात्रि के समय उपस्थित रहकर खण्ड की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेगा व सुरक्षा अधिकारी/ उप–महप्रबक (फार्म) के निर्देशानुसार अपना कार्य करेगा। सुरक्षा ठेकेदार किसी भी स्थिति में ठेके को किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म को किराये पर नहीं देगा अर्थात् सब–लेट (Sub-let) नहीं करेगा। ठेकेदार प्रत्येक दिन फार्म के सुरक्षा अधिकारी से मिलकर फार्म की फसलों, फार्म मशीनरी एवं डीजल, पेड़–पौधो, नहरी पानी, फव्वारा सिंचाई पद्धति, ट्यूब्वैल, तारबंदी तथा फार्म की अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु उसके द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था से अवगत करायेगा तथा सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गए निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा। अगर यह पाया जाता है कि सुरक्षा ठेकेदार जानबुझकर सुरक्षा ठेके की नियम व शर्तो की अवहेलना करता है व फार्म सम्पत्ति की सुरक्षा करने में असक्षम है तो उसका ठेका निरस्त कर प्रतिभुति राशि फार्म प्रबंधन द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

16. सुरक्षा ठेकेदार उसके क्षेत्र मे फार्म सम्पत्ति की चोरी/नुकसान व अन्य किसी प्रकार की गैर कानूनी कृत्य की रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने में करेगा व एफ.आई.आर./रिपोर्ट की प्रतिलिपि थाने की प्राप्ति सहित फार्म के सुरक्षा अधिकारी/उप–महाप्रबंधक (फार्म) को घटना घटने के 24 घंटे के अंदर सौंपेगा।

17. सुरक्षा कार्य के लिए फार्म द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वाहन व अन्य साधन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। ठेकेदार को इन सभी साधनों की व्यवस्था अपने खर्चे पर स्वयं करनी होगी।

18. सुरक्षा ठेकेदार को ठेके की राशि का भुगतान फार्म द्वारा मासिक आधार पर किया जायेगा। किसी भी प्रकार का टैक्स, जो नियमान्तर्गत देय होगा, ठेकेदार के बिल में से काट लिया जायेगा। इसके साथ–2 सुरक्षा ठेकेदार को प्रत्येक माह के बिल के साथ अपने पत्र पैड पर प्रमाण पत्र देना होगा कि उसने फार्म पर लगाए गए सभी चौकीदारों के वेतन का भुगतान श्रम कानून के अनुसार किया है व उसके द्वारा सभी कामगारों का ई.पी.एफ./ ई.एस.आई. जमा करा दिया गया है। ठेकेदार प्रति माह अपने बिल के साथ उसके द्वारा फार्म पर लगाए गए सभी श्रमिकों/चौकीदारों के खाते में जमा कराई गई ई.पी.एफ./ई.एस.आई. की राशी, न्यूनतम मजदूरी भुगतान एवं अन्य वैद्यानिक देयता जो श्रम कानून के अन्तर्गत आती है के प्रुफ सलंग्न करेगा। इसके साथ–2 सुरक्षा ठेकेदार हर छह महीने व साल के बाद प्रारूप–3ए व 6ए द्वारा भरी गई रिटर्न की प्रति फार्म के सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में समय पर जमा कराएगा। ठेकेदार द्वारा नियुक्त चौकीदारों के ई.पी.एफ./ई.एस.आई. खाते में जमा कराई गई राशी के विवरण सलंग्न न करने पर फार्म द्वारा ठेकेदार के बिल का भुगतान नहीं किया

जाएगा व इसकी जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। सुरक्षा ठेकेदार को उसके द्वारा फार्म पर लगाए गए सभी श्रमिकों/चौकीदारों के वेतन का भुगतान प्रति माह की 5 तारीख तक करना अनिवार्य होगा।

19. सुरक्षा ठेकेदार को अपने द्वारा लगाए गए कर्मियों के मामले में समस्त लागू श्रम कानूनों का पालन करना होगा। स्वयं उसकी अथवा उसके द्वारा नियोजित किसी भी सुरक्षाकर्मी/श्रमिक की दुर्घटना होने की स्थिति में फार्म प्रबन्धन की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जो भी वैधानिक प्रावधान लागू होंगे जैसे ई०एस०आई०, ई०पी०एफ०, सेवा कर, न्यूनतम मजदूरी आदि नियमों का पालन की जिम्मेवारी स्वयं सुरक्षा ठेकेदार की होगी व इस बाबत अलग से फार्म द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

20. ठेकेदार को कार्य आरम्भ करने से पूर्व रू. 100/– (शब्दों में रूपये एक सौ मात्र) के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर उपरोक्त शर्तों को शामिल करते हुए केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार से लिखित अनुबंध करना होगा। अनुबंध हेतु नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं अपने स्तर पर करनी होगी। स्टाम्प पेपर का शुल्क भी ठेकेदार को वहन करना होगा। मूल अनुबंध फार्म के पास रहेगा तथा सत्यप्रतिलिपी ठेकेदार को दी जाएगी।

21. सुरक्षा ठेकेदार किसी प्रकार की फार्म/निगम विरोधी कामों में समिलित नही होगा। अगर किसी भी समय यह पाया गया कि ठेकेदार का फार्म/निगम विरोधी हरकतों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है तो उसका ठेका निरस्त कर प्रतिभुति राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा सुरक्षा कार्य किसी भी अन्य व्यक्ति/फर्म से कराया जा सकता है व ऐसा होने पर जो भी आर्थिक व्यय होगा उसकी भरपाई सुरक्षा ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि/मासिक भुगतान से कटौती कर की जाएगी।

22. ठेकेदार को फार्म प्रबन्धन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्य करना होगा। सुरक्षा ठेकेदार उसके द्वारा की गई सुरक्षा संबंधित व्यवस्था, किसी भी प्रकार की घटी अप्रिय घटना/नुकसान/चोरी की लिखित रिपोर्ट सप्ताह में एक बार सुरक्षा अधिकारी को देगा।

23. ठेकेदार द्वारा उपरोक्त नियम व शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में ठेका फार्म प्रबन्धन द्वारा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

24. सुरक्षा ठेका किसी भी समय बिना कोई कारण बताये फार्म निदेशक द्वारा रद्द किया जा सकता है। आवश्यकतानुसार ठेके की अवधि घटाई या बढाई जा सकती है।

25. चूंकि फार्म के ढंढूर चक को राज्य सरकार को वापिस सौंपने की प्रक्रिया चल रही है अतः निविदादाता को वित्तीय निविदा प्रपत्र में चक ढंढूर (लगभग 850 एकड़) की रखवाली की दरें अलग से दर्शानी होंगी। अगर राज्य सरकार द्वारा चक ढंढूर का क्षेत्र वापिस ले लिया जाता है तो सुरक्षा ठेकेदार के बिल के भुगतान से चक ढंढूर की दरों की कटौती की जाएगी।

<u>आरबीट्रेशन</u>

सुरक्षा ठेके के सम्बन्ध में केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार तथा ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मामला निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक या उसके प्रतिनिधि को विवाचन/माध्यस्थम् (Arbitration) के लिए भेजा जाएगा। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक या उसका प्रतिनिधि विवाचक (Arbitrator) होगा एवं उसका फैसला अंतिम होगा जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगा। किसी भी विवाद में पक्षकारों के लिए यह आवश्यक होगा कि न्यायालय की शरण लेने से पहले विवाचन (Arbitration) के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कराएं। तथापि न्यायालय क्षेत्राधिकारी के उद्देश्य से केवल हिसार स्थिति न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही पक्षकरों पर लागू होगा।

सुरक्षा अधिकारी
कृते उप–महाप्रबंधक (फार्म)

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का संस्थान)

केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा)

फार्म की फसलों एवं अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु सुरक्षा कार्य (जनवरी 2015 से मई 2016 तक) ठेके पर देने बाबत वित्तीय निविदा प्रपत्र।

माह	**AMOUNT PROPOSED BY TENDERER (In Rs.)/निविदादाता की प्रस्तावित राशि प्रति माह (रुपयों में)**	
	ब्लॉक–I व II चक 2000आरडी, 68025आरडी, 72000आरडी,9000आरडी एवं चक बेरीबाग(23000आर.डी.), 21000आरडी, 17000आरडी,13000आरडी, 78/80000आरडी, 75000आरडी	**ब्लॉक–III** चक ढंढूर, ढंढूर नर्सरी, 38000आरडी, ई0पी0ओ0, नया बाग, 23000आरडी, 86000एल,86000आर, टेल प्लॉट
जनवरी 2015		
फरवरी 2015		
मार्च 2015		
अप्रैल 2015		
मई 2015		
जून 2015		
जुलाई 2015		
अगस्त 2015		
सितम्बर 2015		
अक्टूबर 2015		
नवम्बर 2015		
दिसम्बर 2015		
जनवरी 2016		
फरवरी 2016		
मार्च 2016		
अप्रैल 2016		
मई 2016		
कुल योग		

खण्ड–। एवं ।। के (11 चकों) में स्थित फार्म की फसलों व अन्य सम्पत्ति समयावधि जनवरी 2015 से मई 2016 तक के लिए सुरक्षा ठेके के कार्य की कुल राशि ....
....

खण्ड–।।। (9 चकों) में स्थित फार्म की फसलों व अन्य सम्पत्ति समयावधि जनवरी 2015 से मई 2016 तक के लिए सुरक्षा ठेके के कार्य की कुल राशि..
....

चक ढंढूर पर फार्म की फसलों व अन्य सम्पति की सुरक्षा हेतू दर प्रति माह ....
....

चक टेल प्लॉट पर फार्म की फसलों व अन्य सम्पति की सुरक्षा हेतू दर प्रति माह ....
....

निविदादाता के हस्ताक्षर..............................

पूरा पता..
....

दिनांकः.............................